A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी–

श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
40/अपील/2022	22.08.2022	28.06.2024

घींसी बाई पुत्र बाल्या पित्त शंकर लाल जाति बलाई निवासी ग्राम ओवन हाल निवास ग्राम खीण्यां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र बाल्या जाति बलाई निवासी पुराने बस स्टैण्ड के पास बैंक के पीछे वाली गली बसौली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से–श्री प्रेमशंकर गुर्जर एड.
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित
रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से–पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 07.06.1992 ग्राम ओवन तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलाधीन नामान्तरकरण की कृषि भूमि खसरा संख्या 223 रकबा 0.0162 है., ख.सं. 1682 रकबा 0.1862 है., ख.सं. 1683 रकबा 0.3966 है., ख.सं. 1684 रकबा 0.1457 है., ख.सं. 1685 रकबा 0.3966 है., ख.सं. 1686 रकबा 0.3361 है., ख.सं. 1687 रकबा 0.0081 है., ख.सं. 1689 रकबा 0.2185 है., ख.सं. 1690 रकबा 0.7932 है., ख.सं. 1313 रकबा 0.2104 है., ख.सं. 1314 रकबा 0.0081 है. कुल किता 11 कुल रकबा 2.7357 हेक्टेयर भूमि जिसका पूर्व का रकबा कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम ओवन पटवार क्षेत्र ओवन तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित हैं। पूर्व में मोडू, बाल्या, हजारी, छोट्या पिसरान जीवन हिस्सा 1/2 बराबर कौम बलाई खातेदार दर्ज हैं जिस पर खातेदार मोडू व बाल्या की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 07.06.1992 तस्दीक किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गयी। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

G7
अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6/2

अभिभाषक अपीलान्ट बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 223 रकबा 0.0162 है., ख.सं. 1682 रकबा 0.1862 है., ख.सं. 1683 रकबा 0.3966 है., ख.सं. 1684 रकबा 0.1457 है., ख.सं. 1685 रकबा 0.3966 है., ख.सं. 1686 रकबा 0.3361 है., ख.सं. 1687 रकबा 0.0081 है., ख.सं. 1689 रकबा 0.2185 है., ख.सं. 1690 रकबा 0.7932 है., ख.सं. 1313 रकबा 0.2104 है., ख.सं. 1314 रकबा 0.0081 है. कुल किता 11 कुल रकबा 2.7357 हेक्टेयर भूमि जिसका पूर्व का रकबा कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम ओवन पटवार क्षेत्र ओवन तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित हैं। पूर्व में मोडू, बाल्या, हजारी, छोट्या पिसरान जीवन हिस्सा 1/2 बराबर कौम बलाई खातेदार दर्ज हैं जिस पर खातेदार मोडू व बाल्या की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 650 तस्दीक किया गया जिसमें बाल्या खातेदार के वारिसान उसकी पुत्री अपीलान्ट को छोड़ते हुये और उसे सुनवाई का अवसन दिये बिना ही बाल्या के केवल उसकी बेवा कैशी व पुत्र मोहन के नाम ही नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 07.06.1992 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तस्दीक कर दिया गया जो अपीलान्ट को बिना सुनवाई किये ही तस्दीक किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण आदेश विधि के सर्वथा विपरीत हैं। विवादित भूमियां अपीलान्ट के पिता बाल्या आ. जीवन के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमियां हैं जो बाल्या (मृतक) के वारिसान कैशी बाई (पत्नि), घींसी बाई (पुत्री) व मोहन लाल (पुत्र) हैं। बाल्या (मृतक) के खातेदारी भूमियां उनके कब्जेकाश्त में रही। कैशी बाई उनकी पत्नि हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका हैं। उक्त खातेदार बाल्या एवं कैशी बाई की संतान अपीलान्ट घींसी बाई एवं पुत्र मोहन उत्पन्न हुआ। अपीलान्ट खातेदार की पुत्री होकर उसकी विधिक वारिसान हैं लेकिन अधीनस्थ्य न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण प्रकिया में अपीलान्ट को शामिल नहीं किया गया, केवल खातेदार बाल्या के पुत्र एवं उनकी पत्नि के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया हैं। अपीलान्ट खोदार बाल्या की पुत्री होने से विधिक वारिसान हैं और उसे भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बराबर भूमियों के हक व अधिकार प्राप्त हैं। तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण में अपीलान्ट के हितों पर भारी कुठाराघात हुआ हैं और अपनी भूमियों से वंचित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान कोई विधिक जांच नहीं की गयी और ना ही मजरेआम पुछा गया, ना ही आस–पास केक खातेदारान से कोई जानकारी ली गयी। उक्त नामान्तरकरण की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी और अपीलान्ट काश्त कर आय प्राप्त कर रही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहन लाल द्वारा माह जुलाई 2022 के अन्तिम सप्ताह में अपीलान्ट को धमकी दी गयी कि आईन्दा भूमि पर मत आना, तेरा भूमि में कोई नाम नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा राजस्व कार्यालय में जाकर दिनांक 27.07.2022 को जानकारी की तो सर्वप्रथम उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उसी ही दिन आवेदन कर दिनांक 08.08.2022 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की हैं जो जानकारी तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत हैं फिर भी देरी–माफी हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 07.06.1992 ग्राम ओवन तहसील हिण्डोली निरस्त किया जावे। वकील

G7

अति० जिला कलक्टर

अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022(1) पेज 493 एवं आरआरटी 2022(1) पेज 611 की नजीरें प्रस्तुत की।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 27.09.2022 को प्रस्तुत राजीनामे के तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि लोक अदालत से प्रेरित होकर अपीलान्ट घींसी बाई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहन लाल ने राजीनामा कर लिया हैं। पक्षकारान यह स्वीकार करते हैं कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाल्या (मृतक) खातेदार के वारिसान हैं। अपीलान्ट बाल्या की पुत्री हैं जिसमें बाल्या की मृत्युपरान्त नामान्तरकरण संख्या 650 तस्दीक किया गया था जिसमें अपीलान्ट घींसी बाई का नाम छोड़ दिया गया था जबकि अपीलान्ट अपने हिस्से अनुसार कृषि भूमियों पर काबिज चली आ रही हैं एवं अपीलान्ट का भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बराबर ही हक व अधिकार हैं और दोनों संयुक्त खातेदार हैं। नामान्तरकरण संख्या 650 गलत रूप से तस्दीक किया गया हैं। पक्षकारान की माता कैशी बाई का देहान्त हो चुका हैं। नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलान्ट के नाम भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं हैं। अपीलाधीन कृषि भूमियों में अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित हैं।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते हैं, जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता हैं। विवादित नामान्तरकरण से प्रथमदृष्ट्या यह जाहिर आया कि तहसीलदार द्वारा मृतक बाल्या के वारिसान की जांच किये बिना एवं बिना सजरा अंकित किये ही नामान्तरकरण 650 दिनांक 07.06.1992 तस्दीक करते समय उक्त तथ्यों को नजरअंदाज किया हैं साथ ही बिना विधिक प्रकिया अपनाये आदेश पारित किया हैं। पुश्तैनी भूमि में पुत्रियों को उनके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता। विवादित कृषि भूमियों में मृतक बाल्या के सभी वारिसान का समान हिस्सा निहित हैं। इसके संबंध में अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपना राजीनामा दिनांक 27.09.2022 में सहमति जाहिर की हैं कि अपीलान्ट का भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बराबर ही हक व अधिकार हैं और दोनों संयुक्त खातेदार हैं। नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलान्ट के नाम भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुये इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय से करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपील सारवान पाऐ जाने से अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 07.06.1992 ग्राम ओवन तहसील हिण्डोली को निरस्त किया जाता हैं। साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि वह सम्पूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर,
बूंदी